न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.M.) आहोर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
बाबुलाल पुत्र छोगाराम	1	भमराराम पुत्र शंकरीया
उम्र 38 वर्ष, जाति मेघवाल	2	भीखाराम पुत्र शंकरीया
निवासी देवकी, तहसील आहोर	3	कन्हैयालाल पुत्र शंकरीया
जिला – जालोर (राज.)	4	मोरकी पत्नि शंकरीया
	5	सविता पुत्री शंकरीया
	6	मीठाराम पुत्र खीमा
	7	रूपाराम पुत्र खीमा तमाम जातियान मेघवाल, निवासीगण देवकी, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)
	8	राज्य सरकार, जरिए तहसीलदार आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)

दावा बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.ACT

मु. नं. 53/2018 **निर्णय दिनांक : 25-10-19**

वादी श्री बाबुलाल द्वारा जरिए वकील श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित के एक वाद बर खिलाफ प्रतिवादीगणो के धारा 53, 188 **R.T.ACT** के तहत मय शपथ पत्र पेश कर बताया कि सरहद मौजा ग्राम देवकी तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 105 कुल रकबा 1.40 हैक्टर, किस्म चाही व जाव सोयम की भूमि मे से 0.16 हैक्टर वादी के नाम से वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज है। जो चालु जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 पर अंकित विवरण नोट नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 05/12/2017 से साबित हैं। शेष आाराजी प्रतिवादीगणो के कब्जे काश्त की हैं। दावे के संल्गन दर्शित नक्शा सेड्यूल '' अ '' में **A B C D** भू–भाग पर मुझ वादी का शांतिपूर्ण कब्जा हैं। मगर न्यायिक दृष्टि से प्रार्थी (वादी) बंटवाडा करवाना चाहता है।

लबातार 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादी का वाद पेश होने पर प्रतिवादीगणो को जरिए जबावदेही सम्मन से तलब होकर अग्रीम पेशी दिनांक 11.07.2018 को मुकर्रर की गई जिसमे भंवराराम, कन्हैयालाल, मीठराम, रूपाराम हाजिर हुये औंर जवाब हेतु समय चाहा। जो दिया गया अप्रार्थीगण भीखाराम नंबर 02, मोरकी नंबर 04, सविता नंबर 05, बावजुद तामिल के भी गैर हाजिर रहे है। अतः इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लीजाकर शेष प्रतिवादीगण सं. 06 मीठाराम, 9 सुकीदेवी, 10 लक्ष्मीदेवी जो मूल वाद मे बतौर प्रतिवादी हैं, जिसके फोतेतगी सूचना पर संशोधित् वाद पत्र पेश हेतु आदेशित किया गया जिस पर लायक वकील वादी द्वारा दिनांक 29.01.2019 को संशोधित् वाद पत्र पेश हुआ। जिन्हे वाद पत्र के मुख पृष्ठ पर संयोजित किया गया, चूंकि प्रतिवादी संख्या 11 फोरमल पक्षकार होने से वादी द्वारा कोई रिलीफ नही चाही गई । अतः जवाबदावा लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार दौराने ट्रायल वाद के दिनांक 10/07/2019 को पक्षकारान् द्वारा आपसी राजीनाम पेश कर लिखित राजीनामा के जरिए बंटवाडा चाहा गया जिस पर राजीनामा वाद तस्दीक शामिल पत्रावली करते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर बरूए राजीनामा वाद – वादी इसी तरह डिक्री कर घोषणा की जाती है कि सरहद मौजा देवकी, तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 105 कुल रकबा 1.40 हैक्टर, किस्म चाही व जाव सोयम की भूमि मे से 0.16 हैक्टर की भूमि वादी के हक मे घोषित की जाती हैं। जो कि मूल वाद के नक्शा सैड्यूल **A** में **A B C D** भू–भाग लाल रंग से दर्शित हैं। शेष आराजी समस्त प्रतिवादीगणो के सामलाती राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद की घोषणा की जाती हैं। चूंकि वाद पत्र के संल्गन नक्शा सैड्यूल ''अ'' को वाद पत्र के निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे, तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो, तद्नुसार तहसीलदार आहोर रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, आहोर
जिला-जालोर (राज.)

प्रशान्त शर्मा
RAS
न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.M.) आहोर
सहायक कलेक्टर (उ.अ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)

मुतफर्रिक
मीजान
मीजान

Scanned by CamScanner